फैक्स

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्याः– 65 /रा0नि0आ0अनु0–2/733/2007 देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अन्तर्गत एवं उत्तराखण्ड पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2002 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायतों की निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निवाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय–सारिणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगाः–

क्र. सं.	कार्यक्रम	अवधि	दिनांक
1.	नोटिस प्रदर्शन/निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	—	02.05.2011
2.	निर्वाच्क नामावली का निरीक्षण	05 दिन	03.05.2011 से 07.05.2011 तक
3.	निर्वाचक नामावलियों पर दावे/आपत्तियों को प्राप्त करना	11 दिन	08.05.2011 से (दिनाक 17.5.2011 को छोडकर) 19.05.2011 तक
4.	प्राप्त दावों/आपत्तियों पर सुनवाई	08 दिन	20.05.2011 से 27.05.2011 तक
5.	दावे/आपत्तियों का निस्तारण	04 दिन	28.05.2011 से 31.05.2011 तक
6.	निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूचियों का मुद्रण	10 दिन	01.06.2011से 10.06.2011 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन	—	15.06.2011

2. तद्नुसार 12 जिलों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) द्वारा अपने जिले के ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय वस्तु है, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन दायर की गई है।

क्रमशः.....2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2011 निर्धारित करते हुए राज्य के 12 जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा। पुनरीक्षण से यथास्थिति निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों को संशोधित, विलोपित अथवा परिवर्द्धित किया जायेगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने 01 जनवरी, 2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। पुनरीक्षण के पश्चात् परिवर्तित, परिवर्द्धित एवं विलोपित निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:— (1)/रा0नि0आ0अनु0—2/733/2007 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),(जनपद हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पंचायत)/अपर जिलाधिकारी, (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड जो पंचायत का कार्य व्यवहृत कर रहें हैं।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कूमॉयू मण्डल उत्तराखण्ड।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज/गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में निशुल्क: प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
13. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एच.बी.थपलियाल)
संयुक्त सचिव।